परिपत्र संख्या-डीजी-38 /2013

देवराज नागर,

आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश,

1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊ, जुलाई 18 ,2013

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश के राज मार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों में ट्रक लूट की घटनाएं घटित होने के उपरान्त संबंधित थानों द्वारा अभियोग पंजीकृत करने में काफी टाल-मटोल की जाती है जिससे ट्रक मालिकों एवं व्यापारियों में काफी रोष उत्पन्न होता है एवं कभी-कभी प्रतिक्रिया स्वरूप उनके रोष का भी सामना पुलिस को करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल होती है एवं पुलिस का जनता में विश्वास कम होता है। अतः आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि ट्रक लूट की घटना होने पर निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल की जाये-

- जिस थाने पर ट्रक लूट की सूचना ड्राइवर, खलासी या अन्य के द्वारा दी जाये, तो तत्काल उसी थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाये। यदि घटना दूसरे थाने की हो तो भी मुकदमा निल पर पंजीकृत किया जाये।
- ड्राइवर एवं खलासी के साथ तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण करके घटना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाये तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी बनायी जाये।
- ड्राइवर एवं खलासी से लूटे गये ट्रक का माडल, रंग, नम्बर तथा अभियुक्तगण की संख्या व हुलिया, उनका फायर पावर, उनके द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन का माडल, रंग, नम्बर आदि की जानकारी की जाये।
- कन्ट्रोल रूम के माध्यम से समीपवर्ती थानों एवं अन्य थानों को ट्रक का माडल, रंग व नम्बर, अभियुक्तगण द्वारा प्रयोग किये गये वाहन का माडल, रंग व नम्बर, अभियुक्तगण की संख्या व हुलिया तथा फायर पावर के बारे में सूचना देकर नाकाबन्दी कराके चेकिंग करायी जाये।
- यदि ड्राइवर एवं खलासी को चोट पहुंचायी गयी हो तो तत्काल उनकी चिकित्सा एवं मेडिकल परीक्षण कराया जाये। ड्राइवर एवं खलासी मरणासन्न स्थिति में हों तो मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्यु पूर्व बयान दर्ज कराये जाये। यदि किसी की मृत्यु हो गयी हो तो पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी जाये।

उपरोक्त कार्यवाही ट्रक लूट की घटना की सूचना जिस थाने पर प्राप्त होगी उसी के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही की जायेगी चाहे घटनास्थल किसी भी थाने का हो। ऐसा न करने पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। यदि घटनास्थल दूसरे थाने का पाया जाता है तो उसके पश्चात की विवेचना की कार्यवाही सम्बन्धित थाने द्वारा की जाये।

2. ट्रक लूट की घटनाओं को रोकने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैं:-

- ढाबों व पेट्रोल पम्पों पर पोस्टर एवं पम्पलेट के माध्यम से ट्रक चालकों को जागरूक किया जाए कि वे ट्रक में किसी अपरिचित व्यक्ति को न बैठाएँ तथा रात्रि में समूह में चलें।
- राज्य मार्ग एवं प्रमुख मार्गों के सूनसान एवं ट्रक लूट के स्थान को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार पिकेट एवं मोटर साइकिल मोबाइल से गश्त लगायी जाये।
- ट्रक लूट के लिए कुख्यात गांवों के समीप पिकेट लगायी जाये।
- राज्य मार्ग एवं प्रमुख मार्गो पर स्थान-स्थान पर पुलिस कन्ट्रोल एंव पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर लिखवा दिये जाये ताकि लूट की घटना घटित होने पर पुलिस को तत्काल सूचना मिल जाये जिससे चेकिंग एंव घेराबंदी की कार्यवाही की जा सके।
- विगत पाँच वर्ष में ट्रक लूट की घटनाओं में नामजद/प्रकाश में आए अभियुक्तगण एवं ट्रक लूट के सूचीबद्ध गैंगों के सदस्यों की वर्तमान स्थिति ज्ञात कर उनकी सक्रियता के आधार पर उनके विरूद्ध गैंगेस्टर व अन्य निरोधात्मक कार्यवाही एवं हिस्ट्रीशीट खोले जाने की कार्यवाही की जाये।
- ट्रक लूट की पूर्व की घटनाओं से सम्बन्धित अभियोगों में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करायी जाये।
- लूट के ट्रक खरीदने वाले व्यक्तियों एवं कबाड़ियों को चिन्हांकन कर उनकी सूची बना ली जाये तथा उनकी चेकिंग कराकर संदिग्धता/सक्रियता के आधार पर उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाये।

3. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

18-7-13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक,तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।